न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

40/2018

गोविन्द व्यास पुत्र रामेश्वर व्यास निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी जिला टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 10.09.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी को आवेदन पत्र दिनांक 09.05.2018 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

1-मुझ प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना मे खसरा नम्बर 2243 रकबा 2 बिस्वा मेधराज पुत्र रामकिशन जाट के अतिक्रमण पर आप द्वारा क्या कार्यवाही की जिसकी सूचना मे आपने अवगत करवाया है कि उक्त प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है उक्त प्रकरण किस न्यायालय मे विचाराधीन चल रहा है एंव विचाराधीन प्रकरण मे सरकार की और से आपके तहसील कार्यालय द्वारा क्या पैरवी की जा रही है। अब तक की गई कार्यवाही से अवगत करावे।

2-बाड खेत को खाये शीर्षक समाचार 30 अगस्त 2011 को टोंक मे पत्रिका मे प्रकाशित हुआ। तहसील कार्यालय द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई,की गई कार्यवाही से अवगत करावे।

3-रामकिशन जाट पुत्र नंदराम जाट निवासी दूनी द्वारा की गई मकान वसीयत पुत्र मेधराज के नाम की गई मकान वसीयत राजस्व नियमानुसार की गई वसीयत रामकिशन जाट के जीवित अवस्था मे मान्य होती है या मृत्यू उपरान्त।

4-क्या यह संभव है कि भौतिक रूप से मकान पिता रामकिशन जाट का एंव मकान के आगे चारदीवारी पुत्र मेधराज की हो।

5-मुझ प्रार्थी के स्व0 पिता श्री रामेश्वर व्यास द्वारा दूनी नायब तहसीलदार को 17.02.2011 को की गई शिकायत पर पूर्व नायब तहसीलदार श्री हरिऔम सैन द्वारा क्या कार्यवाही की गई की गई कार्यवाही से अवगत करावे।

6-प्रभारी अधिकारी भू- अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक कमांक भू0अ0 61 एफ 9(7) प्रा0ला0 121[illegible] दिनांक 08.03.2011 खसरा नम्बर 2243 एंव कार्यालय जिला परिषद टोंक के पत्र कमांक 2011/5752 दिनांक 11.10.2011 तहसील कार्यालय देवली एंव नवसृजित

जिला कलेक्टर
टोंक

तहसील कार्यालय दूनी तहसीलदार द्वारा क्या कार्यवाही की गई,की गई कार्यवाही से अवगत करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी को पत्र क्रमांक 1232 दिनांक 08.08.2018 व 1275 दिनांक 27.08.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी ने पत्र क्रमांक 2371 दिनांक 23.08.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि उनके पत्र क्रमांक 1874 दिनांक 05.06.2018 से अपीलार्थी को सूचना के संबंध मे सूचित किया जा चुका है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक